प्रेस नोट
दिनांक 30.08.2026

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा नाबालिग से दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–
थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 336/2026 में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पतारसी–सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गुलहरिया नाला के पास घेराबंदी कर अभियुक्त मो0 आजाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 27.08.2026 को उसकी नाबालिग पुत्री घर से कुछ दूरी पर स्थित दुकान पर राखी लेने जा रही थी। इसी दौरान अभियुक्त मो0 आजाद द्वारा बालिका को बुलाकर अपने घर के पास स्थित टीन शेड में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया गया तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 30.08.2026 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा वांछित चल रहे अभियुक्त मो0 आजाद को गुलहरिया नाला के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. मो0 आजाद पुत्र इदीश, निवासी ग्राम वजीरगंज बाजार, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0 336/2026, धारा 65(2) बीएनएस एवं 5एफ/6 पॉक्सो एक्ट, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह, थाना वजीरगंज।
02. का0 राजू यादव।
03. का0 सूरज यादव।
04. म0का0 दिव्या दीक्षित।
05. म0का0 खुशी निगम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.08.2026

थाना छपिया पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः–

कार्यवाही–

थाना छपिया पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 235/2024 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस एवं 5जे(2)/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त अंकुश शर्मा उर्फ अंकुश तिवारी को सहजनवा से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.09.2024 को थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना छपिया पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री शौच के बहाने घर से निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं आई। वादी द्वारा पुत्री की काफी खोजबीन की गई तथा नाते–रिश्तेदारों एवं परिचितों के यहां पता किया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तहरीर के आधार पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 30.08.2026 को थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त अंकुश शर्मा उर्फ अंकुश तिवारी को सहजनवा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अंकुश शर्मा उर्फ अंकुश तिवारी पुत्र पिरथी निवासी– ग्राम वैसरी, थाना किला, जनपद पानीपत, हरियाणा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 235/2024 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस एवं 5जे(2)/6 पॉक्सो एक्ट थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 राकेश पटेल।
02. उ0नि0 सुरेश यादव।
03. हे0का0 अमरजीत।
04. हे0का0 शिव कुमार यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक– 30.08.2026

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा गाली–गलौज, मारपीट एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

घटना का संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही–

दिनांक 29.08.2026 को समय करीब 19:50 बजे श्रीमती साविता पत्नी अखिलेश निवासी खड़ौरा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज पुलिस को जरिए दूरभाष के माध्यम से सूचना दी गई कि अनिल पाण्डेय उर्फ ननकुन्ने पुत्र स्व0 रामबहादुर पाण्डेय निवासी बेलसर, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा उनके दरवाजे पर आकर गाली–गलौज एवं जान से मारने की धमकी दे रहा है। सूचना पर उ0नि0 राकेश कुमार पाण्डेय मय हमराह का0 वीरेन्द्र कुमार मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अभियुक्त वहां से चला गया था। इसके पश्चात समय करीब 20:27 बजे शिकायतकर्ता द्वारा पुनः सूचना दी गई कि अनिल पाण्डेय उर्फ ननकुन्ने गोपीपुर तिराहा से आगे सड़क पर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो अभियुक्त लालता प्रसाद के घर के पास मौजूद मिला। पुलिस द्वारा पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा तथा हाथापाई एवं मारपीट करने लगा। अभियुक्त के उग्र व्यवहार के कारण चौकी रगड़गंज से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ भी अभियुक्त द्वारा अभद्र भाषा, धमकी एवं हाथापाई की गई। अभियुक्त नशे की हालत में था तथा बार–बार सड़क पर गिर रहा था। उक्त घटना के सम्बन्ध में उ0नि0 राकेश कुमार पाण्डेय की तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज पर मु0अ0सं0 278/2026 धारा 352/121(1)/132/351(3)/221 बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसमे आज दिनांक 30.08.2026 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गोपीपुर तिराहे के पास घेराबंदी कर अभियुक्त अनिल पाण्डेय उर्फ ननकुन्ने को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अनिल पाण्डेय उर्फ ननकुन्ने पुत्र स्व0 रामबहादुर पाण्डेय, निवासी बेलसर, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 278/2026 धारा 352/121(1)/132/351(3)/221 बीएनएस थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

1. उ0नि0 उपेन्द्र यादव।
2. का0 मनीष अवस्थी।

मीडिया सेल, गोण्डा।